



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन-सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना-800022

ई-मेल—pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल—9431283596

प्रेस-विज्ञप्ति

महामहिम राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की

पटना, 11 जून 2020

महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान ने आज राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की।

समीक्षा-बैठक में राजभवन से राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद एवं राज्यपाल सचिवालय के वरीय अधिकारीगण, एन.आई.सी. मुजफ्फरपुर से बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रो. हनुमान प्रसाद पाण्डेय, एन.आई.सी. गया से मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेन्द्र प्रसाद तथा एन.आई.सी. पटना से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. गुलाब चन्द राम जायसवाल शामिल थे। ज्ञातव्य है कि बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रो. पाण्डेय जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के भी कुलपति के प्रभार में हैं।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल-सह-कुलाधिपति श्री फागू चौहान ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों का यह प्रयास होना चाहिए कि 'ऑनलाईन इन्टरेक्टिव क्लासेज' के जरिये यथासंभव पाठ्यक्रम पूरा करते हुए यू.जी.सी. के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप सभी परीक्षाएँ आयोजित की जायें एवं सितम्बर-अक्टूबर, 2020 तक उनके परीक्षाफल भी घोषित हो जाएँ। राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष आयोजित होनेवाली परीक्षाओं को इस तरह पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि आगामी वर्ष का अकादमिक सत्र समय पर शुरू कर पाने में कोई कठिनाई नहीं हो।

राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाईन समय से पूरी करते हुए निबन्धन का कार्य भी ससमय हो जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि सभी महाविद्यालयों में यू.जी. प्रथम वर्ष में निर्धारित सीटों से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नामांकन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी महाविद्यालय में सीटों से ज्यादा नामांकन के मामले सामने आने पर संबंधित प्राचार्य से कारण-पृच्छा करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जानी चाहिए।

राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को निदेशित किया कि जिन महाविद्यालयों को 'कोरोना-संक्रमण' से बचाव के क्रम में 'कोरोन्टाइन सेंटर' बनाया गया है, उन्हें जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ससमय सेनेटाईज करा दिया जाये ताकि वर्ग-संचालन या परीक्षा- आयोजन में कोई कठिनाई नहीं हो। राज्यपाल ने कहा कि यदि आवश्यक हो इसके लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अपनी निधि का भी उपयोग कर सकते हैं।

(2)

राज्यपाल ने कहा कि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार प्रतिदिन एक घंटे शिक्षण-अवधि बढ़ाने पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। सभी कुलपतियों से मंतव्य लेकर इस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

राज्यपाल ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन, प्रश्न-पत्रों के चयन तथा उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन आदि को लेकर राज्य के विश्वविद्यालयों में एकरूप व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यपाल ने प्रधान सचिव को निदेशित किया कि इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक तीन सदस्यीय मंत्रणा-समिति शीघ्र गठित कर दी जाये जो इस मामले में आवश्यक सुझाव दे सके।

राज्यपाल ने संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निदेशित किया कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के 'नैक-मूल्यांकन' के कार्य में तेजी लाये जाने की जरूरत है। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने कहा कि इस संबंध में सभी कुलपति अपने स्तर पर भी आवश्यक समीक्षा करते रहें एवं यह सुनिश्चित करायें कि 'आई.आई.क्यू.ए.' एवं 'एस.एस.आर.' दाखिल करने में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पूरी तत्परता बरतें।

समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सहायक प्राध्यापकों की रिक्तियों की सूची आयुक्त कार्यालय से 'रोस्टर क्लीयरेंस' कराते हुए शिक्षा विभाग को प्रेषित करने में मगध विश्वविद्यालय ने तत्परता बरती है, परन्तु बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने अबतक 'रोस्टर क्लीयरेंस' कराते हुए शिक्षा विभाग को उक्त सूची नहीं भेजी है। राज्यपाल ने रिक्ति-सूची शीघ्र शिक्षा विभाग को भेज देने का निदेश संबंधित कुलपतियों को प्रदान किया।

बैठक में राज्यपाल ने कहा कि 'ऑनलाईन टीचिंग' के संदर्भ में समुचित व्यवस्था बहाल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो एक अध्ययन-दल अन्य राज्य के किसी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में भेजा जाए ताकि अध्ययन-दल की रिपोर्ट के आलोक में बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में भी ऑनलाईन शिक्षण की गुणवत्ता में समुचित सुधार हो सके। राज्यपाल ने कहा कि 'ऑनलाईन शिक्षण' एवं कक्षाओं में अध्यापन -दोनों व्यवस्थाएँ समानान्तर चलाना वर्तमान समय की जरूरत बन गई है।

राज्यपाल ने ऑनलाईन डिग्री-वितरण एवं नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी (NAD) की व्यवस्था के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन पर भी जोर दिया एवं सभी कुलपतियों को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने को कहा।

बैठक में कुलपतियों को कहा गया कि वे 'ऑनलाईन लेक्चर्स' को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करें ताकि दूसरे विश्वविद्यालय भी गुणवत्तापूर्ण व्याख्यानों से अपने विद्यार्थियों को लाभान्वित करा सकें।

बैठक में सभी संबंधित कुलपतियों को निदेशित किया गया कि वे अपने विश्वविद्यालय में वीडियो-कॉन्फ्रेन्सिंग कक्ष यथाशीघ्र तैयार कराने का काम करें ताकि विश्वविद्यालयों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से समीक्षा में सहूलियत हो।

बैठक में 'शिक्षक-विद्यार्थी-अनुपात' के युक्तिकरण (Rationalization) की भी समीक्षा की गई एवं संबंधित कुलपतियों को कहा गया कि वे अपने स्तर पर समिति गठित कर समुचित कार्रवाई करें।

.....